न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 44/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

मनोज श्रीवास्तव पुत्र डी.डी. श्री वास्तव निवासी A-14 मोहन कोऑपरेटीव दिल्ली।

–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 **LR Act** 1956

निर्णय

दिनांक 26/5/16

1. तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किये जाने पर कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2258, 2258/2394 वाके मोजा पनियाला तहसील कोटपूतली जिसके साबिक खसरा नम्बर 1362 वाके मौजा पनियाला तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक/भूमि है, एवं भूमि की किस्म गै0 मु0 नदी है।
2. उपरोक्त आराजी को तत्कालीन राजस्व अधिकारी कोटपूतली के द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अप्रार्थीगण को गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।
3. प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने से हुई।
4. उपरोक्त भूमि गैर मुमकिन नदी की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही दिये जा सकते है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानूनन गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2258, 2258/2394 वाके मोजा पनियाला तहसील कोटपूतली में से अप्रार्थीगण का

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे ।

6. प्रकरण प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार रजिस्डर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी मूल रूप से गैर मुमकिन नदी की भूमि है जो कि एक प्राकृतिक जलस्रोत से संबंधित होने के कारण इस पर किसी भी निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उपरोक्त आराजी को तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा आवंटन करना तथा भूमि की किस्म परिवर्तन कर खातेदारी दर्ज करना विधि विरुद्ध है यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से सार्वजनिक भूमि का आवंटन कर दिया जाता है तो ऐसी कार्यवाही कानून की दृष्टि में वैध नहीं मानी जा सकती तथा उसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार, निर्णय दिनांक 02.08.2004 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि नदी, नाला, तालाब अथवा अन्य जलस्रोत संबंधी भूमि पर किये गये अवैध आवंटनों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त किया जाये तथा ऐसी भूमि को पुनः राजकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाये। अतः आराजी हाल खसरा नम्बर 2258, 2258/2394 वाके मौजा पनियाला में अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर आराजी को पुनः राजकीय गैर मुमकिन तालाब दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

7. तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नम्बर 2258 व 2258/2394 रकबा 1.22 व 0.50 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में मनोज श्रीवास्तव पुत्र डी.डी. श्रीवास्तव के नाम खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त संवत 2005 की जमाबंदी के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1362 की मूल किस्म नदी दर्ज थी, जिसे बंदोबस्त संवत 2037–56 की जमाबंदी में किस्म खातली अंकित कर दिया गया। तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 211 दिनांक 05.02.1996 द्वारा खसरा नम्बर 2394/2258 रकबा 0.50 हेक्टेयर श्योचन्द पुत्र सूरजभान के नाम तथा नामान्तरण संख्या 212 दिनांक 05.02.1996 द्वारा खसरा नम्बर 2258 रकबा 1.22 हेक्टेयर अनारी पत्नी सूरजभान गुर्जर के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज की गई। दिनांक 09.01.1998 को उक्त भूमियों को गैर–खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में बेचान के माध्यम से यह भूमि श्योदान व अनारी बाई के स्थान पर अप्रार्थी मनोज श्रीवास्तव पुत्र डी.डी. श्रीवास्तव निवासी ए–14, मोहन को–ऑपरेटिव, दिल्ली के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड से यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि मूल रूप से कृषि योग्य न होकर गैर मुमकिन नदी की भूमि रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रावधानों के तहत गैर मुमकिन नदी, नाला, जोहड़ या तालाब आदि की भूमि पर किसी भी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के मामले में दिए गए विधिक सिद्धांतों के अनुसार, संवत 2005 में जो भूमियां नदी–नाले के रूप में दर्ज थीं, उनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता और न ही उन पर खातेदारी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक जलस्रोत की भूमि पर खातेदारी अधिकार बरकरार रखना न्यायोचित नहीं है और यह आवंटन व दर्ज खातेदारी निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, कोटपूतली का रैफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पनियाला, तहसील कोटपूतली स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 2258 व 2258/2394 में अप्रार्थीगण को तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किए गए आवंटन/खातेदारी अधिकारों को रद्द करने तथा उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में पुनः इसके मूल स्वरूप गैर मुमकिन नदी राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करने की अभिशंसा के साथ यह रैफरेंस प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि वह ऐसे समस्त परिर्वतनों की तीन–तीन प्रतियॉ तैयार कर वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 26/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)